भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3500
दिनांक 21 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय महिला कोष

3500. श्री बलवंत बसवंत वानखडे :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) के अंतर्गत चलाई जा रही ऋण योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा ऐसे ऋण प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आरएमके से लाभान्वित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की राज्य / संघ राज्यक्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान आरएमके के अंतर्गत ऋणों पर अधिक ब्याज दर वसूलने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा ऐसी शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है;

(घ) क्या सरकार आरएमके का पुनर्गठन/संशोधन करने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश भर में आरएमके का कवरेज बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए / उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ड.): राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) के तत्वावधान में 1993 में स्थापित शीर्ष सूक्ष्म वित्त संगठन के रूप

में एक सोसायटी थी, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत थी।

व्यय विभाग द्वारा 'स्वायत्त निकायों के युक्तिकरण' पर दी गई रिपोर्ट के आधार पर, 'राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके)' को बंद करने संबंधी मंत्रालय का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस संगठन को बंद करने के लिए भारत के राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 12.03.2024 को अधिसूचना प्रकाशित की गई है।

*****